

ग्रा/लग०/सभा/2017/3539
 न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल गवालियर श्रुखला
 न्यायालय रीवा, जिला— रीवा (मोप्र०)

98



1. रियाजुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,
2. नूर मोहम्मद तनय अजमुल्ला वक्श
3. अलीमुद्दीन तनय रियाजुद्दीन,
4. निजामुद्दीन तनय अब्दुल्ला वक्श,
5. असगर अली तनय सिराजुद्दीन
6. बसारत अली तनय छकौड़ी मुसलमान,
7. हकीमुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,
8. सिराजुद्दीन तनय छकौड़ी मुसलमान,

सभी निवासी ग्राम— बघोर, तहो— सिहावल, जिला— सीधी (म.प्र.)

निगरानीकर्तागण

बनाम

मोप्र० शासन

अंजीर तनय इलाही मुसलमान निवासी ग्राम— मेढ़ौली, तहो— सिहावल, जिला— सीधी (म.प्र.)

गैरनिगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश श्रीमान् नायब

तहसीलदार महोदय तहसील— सिहावल के
 राजस्व प्रकरण क्रमांक— 226/अ-19(2)/

1980-81 में पारित आदेश दि०— 31.05.1981

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा— 50 मोप्र० भू— राजस्व
 संहिता 1959

मान्यवर,

पुनरीक्षण के सूक्ष्म तथ्य

(अ)

यह कि निगरानीधीन भूमि खसरा क्रमांक— 845 जुज रकवा 2.023

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ८८/ग्रा/१७/३५३७ जिला-..... स्थान

रिपोर्ट दिनांक विरुद्ध शास्त्र अधिकारी


(1)

(2)

(3)

१८-१२-१८-

1. आवेदक की ओर से श्री रमागोविंद सिंह अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ संचालक/
नियंत्रक, तहसील सिंहापत्तन के प्रकरण क्रमांक २२६) १४.९.१२/८०-८।
में पारित आदेश दिनांक ३।-८-८। के विरुद्ध प्रस्तुत
की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018
को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की
धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई
हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला स्थान के न्यायालय
को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २२-१-१९
को कलेक्टर स्थान के न्यायालय में सुनवाई हेतु
उपस्थित हो।



सदस्य

